ಮಾನವಸಂಪನ್ಮೂಲವಿಭಾಗ/मानव संसाधन अनुभाग/**HUMAN RESOURCES SECTION**
ಭಾರತೀಯವಿಜ್ಞಾನಸಂಸ್ಥೆ/भारतीय विज्ञान संस्थान/**INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE**
ಬೆಂಗಳೂರು/बेंगलुरु/**BANGALORE – 560012**
ದೂರವಾಣಿ/**दूरभाष/TELEPHONE: 080-2293-2916/2293**
ಇ-ಮೇಲ್/E-mail/ईमेल : **recruitment.nt@iisc.ac.in**

विज्ञापन संख्या आर(एचआर)/भर्ती-2/2026 दिनांक 29 मई 2026

भारतीय विज्ञान संस्थान, जो शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थान है, जिसने राष्ट्र के विकास में एक शताब्दी से अधिक योगदान किया है, नए बुनियादी ढांचे (भवन एवं उपकरण) तथा कई नए अंतरविषयक कार्यक्रम और प्रतिभाशाली संकाय स्थापित किए हैं और उन्नत शिक्षा एवं अनुसंधान में विश्वगुरु बनने के ध्येय पर अग्रसर है।

संस्थान निम्नलिखित पदों को सीधी भर्ती से भरने के लिए व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है:

पद	रिक्तियों की संख्या								समूह	वेतन मैट्रिक्स स्तर (7 वे सीपीसी के अनुसार)
	यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडबल्यूएस	कुल	पीडबल्यू बीडी	पूर्व-सैनिक		
प्रशासनिक सहायक	13	05	02	09	05	34*	2*	4	ग (सी)	स्तर – 05 (₹29200-92300)

आवश्यक अर्हता :
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि, जिसमें अर्हक उपाधि में कम से कम 50% अंक प्राप्त हों।

आयु सीमा:
आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 26 वर्ष।

* श्रेणी 'ख' (बधिर और सुनने में कठिनाई वाले) और श्रेणी 'घ और ङ' विकलांगता (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार [हल्का], सीखने की विशिष्ट अक्षमता, मानसिक बीमारी, और खंड 'क' से 'घ' के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से बहु-विकलांगता, जिसमें बधिर-अंधापन भी शामिल है) के लिए 01-01 रिक्ति।

सामान्य निर्देश

1. आवेदकों के लिए निर्देश

(क) आवेदक का भारत का नागरिक होना आवश्यक है।

(ख) उम्मीदवार पद के लिए आवेदन करने से पहले विज्ञापन में निर्धारित आवश्यक न्यूनतम योग्यता, आयु पात्रता, अनुभव मानदंड आदि को ध्यान से पढ़ लें। चूंकि, ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवार द्वारा दिए गए डाटा के आधार पर आवेदन की जांच की जाएगी, अतः उम्मीदवार पद के लिए आवेदन से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर ले।

(ग) इस पद के लिए चयन पूरी तरह से **कार्योन्मुख अभिक्षमता परीक्षण (100% भार) के आधार पर होगा। यदि परीक्षाएं एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती हैं, तो विभिन्न सत्रों में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों को मानक मानदंडों के अनुसार सामान्यीकृत किया जाएगा। कार्योन्मुख योग्यता परीक्षा 05 जुलाई 2026 को होना संभावित है।**

(घ) ऑनलाइन सूचना दाखिल करते समय आवेदकों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए। एक बार आवेदन ऑनलाइन जमा किए जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में बदला/पुन:प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक बार ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाने के बाद उम्मीदवार द्वारा दर्ज किए गए किसी भी आंकड़ा/विवरण में परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले कृपया सभी डाटा/विवरण तैयार रखें।

(ङ) 7वे वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में दिए गए वेतन के अतिरिक्त, पद संबंधित वेतनमान में संस्थान के नियमानुसार स्वीकार्य सामान्य भत्ते देय हैं।

(च) पीडबल्यूबीडी के लिए प्रशासनिक सहायक के पद हेतु उपयुक्त कार्यात्मक आवश्यकताएँ और श्रेणियाँ निम्न प्रकार से निर्धारित की गई हैं:

कार्यात्मक आवश्यकता	पीडबल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त श्रेणियां
बैठना, खड़ा होना, झुकना, उंगलियों का हस्तकौशल, पढ़ना और लिखना, देखना	ए) दृष्टिहीन, अल्प दृष्टि। ख) बधिर, अल्प श्रवण क्षमता। ग) एक हाथ, दोनों हाथ, दोनों पैर, एक पैर, एक हाथ और एक पैर, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति, बौनापन, आम्ल आक्रमण पीड़ित, मांसपेशीय दुर्विकास घ) ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (हल्का), विशिष्ट अधिगम अक्षमता, मानसिक बीमारी। ङ) उपरोक्त (क) से (घ) तक की बहु-विकलांगताएँ।

(छ) मानक विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडबल्यूबीडी) को रोजगार हेतु भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रारूप (**अनुलग्नक-I**) में विकलांगता/चिकित्सा प्रमाण पत्र, विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा। इस श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जिनकी विकलांगता 40% से कम नहीं है। यदि विकलांगता 40% से कम है तो प्रमाण पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ज) **कार्योन्मुख अभिक्षमता परीक्षण** के लिए न्यूनतम अर्हक अंक संस्थान द्वारा अपने विवेकानुसार निर्धारित मानक के अनुसार होंगे।

(झ) अर्हता और अनुभव की पूर्ति एक अनिवार्य आवश्यकता है। सामान्य रूप से मानकों का पालन करते हुए, भर्ती/चयन के चरण (चरणों) में आगे बढ़ते हुए जैसा कि ऊपर कहा गया है, उम्मीदवार को **कार्योन्मुख अभिक्षमता परीक्षण** के लिए बुलाया जाएगा। जैसा कि कहा गया है, संस्थान मानक तय करने के लिए और **कार्योन्मुख अभिक्षमता परीक्षण** के लिए निर्धारित मानक से ऊपर के योग्य उम्मीदवारों को ही बुलाने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा, संस्थान बिना कोई कारण बताए विज्ञापित पदों में से किसी भी पद को न भरने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(ञ) यदि किसी उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में अनारक्षित श्रेणी का उल्लेख किया गया है, लेकिन बाद में वह श्रेणी को आरक्षित श्रेणी में बदलने का अनुरोध करता है, तो संस्थान द्वारा ऐसे अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, एक बार किसी उम्मीदवार द्वारा आरक्षित श्रेणी चुनने के पश्चात आरक्षित श्रेणी में बदलाव के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ट) सभी उम्मीदवार जो सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते है, तो उन पर उनकी श्रेणी के बावजूद, सामान्य श्रेणी की रिक्तियों के लिए भी विचार किया जा सकता है। यद्यपि, विशिष्ट समुदायों (एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस) के लिए निर्धारित रिक्तियों के लिए केवल उस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों पर ही विचार किया जाएगा।

(ठ) ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि तक, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार आरक्षण नीति विचाराधीन होगी। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि तक भारत सरकार द्वारा जारी आयु में छूट संबंधी नीति में किसी भी संशोधन को विचाराधीन रखा जाएगा।

(ड) आयु में छूट, जहां भी लागू और स्वीकार्य है, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार होगी।

(ढ) संस्थान में वर्तमान में कार्यरत अस्थाई/परियोजना कर्मचारियों के लिए, जिन्होंने संस्थान में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उनकी सेवा की सीमा तक आयु में एक बार की छूट प्रदान की जाती है।

(ण) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/पूर्व सैनिक का दर्जा या कोई अन्य लाभ, जैसे शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु में छूट आदि, प्राप्त करने की निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। इसका अर्थ यह है कि निर्णायक तिथि पर, उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/पूर्व सैनिक श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत आना चाहिए। हालांकि, अल्पसंख्यक वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 की आय के आधार पर जारी किया गया वर्ष 2026-2027 के लिए वैध आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र हो।

(त) आरक्षित पदों (एससी/एसटी/ओबीसी/पीडबल्यूबीडी/पूर्व सैनिक) के लिए आवेदन करने के इच्छुक अथवा आयु में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रारूप (**अनुलग्नक-II**) में आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, पूर्व सैनिकों के मामले में सेवामुक्ति प्रमाण पत्र (**अनुलग्नक-III**) आवश्यक है। अन्यथा, एससी/एसटी/ओबीसी/पीडबल्यूबीडी/पूर्व सैनिक श्रेणी के लिए उनका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। पीडबल्यूबीडी के लिए छूट और रियायतें केंद्र सरकार के वर्तमान आदेशों के अनुसार होंगी।

(थ) पूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा, आरक्षण और अन्य रियायतें डीओपीटी के ओएम दिनांक 25.12.2025 अनुसार होंगी।

(द) सभी पदों के लिए अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष है।

(ध) यदि स्क्रीनिंग, भर्ती और चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर या नियुक्ति के बाद भी, यह पाया जाता है कि उम्मीदवारों ने गलत या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है, तो उनकी उम्मीदवारी तत्काल प्रभाव से निरस्त/रद्द/समाप्त कर दी जाएगी। संस्थान अपूर्ण/गलत सूचना के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं लेता है। बाद में, इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. आवेदन की प्रस्तुति

(क) उम्मीदवारों को **29-05-2026** से **18-06-2026 रात 11.55 बजे** तक केवल **ऑनलाइन** आवेदन करना आवश्यक है।

(ख) **ऑनलाइन माध्यम** से आवेदन प्रस्तुत करने के लिए, कृपया विजिट करें:
https://iisc.ac.in/careers/regular-positions/

(ग) **गैर-शैक्षणिक पदों के ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन की कोई हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाती है।** हालांकि, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य के संदर्भ के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का एक प्रिंट आउट अपने पास रखें।

(घ) सरकारी/पीएसयू /स्वायत्त निकायों में कार्यरत उम्मीदवारों को वर्तमान नियोक्ता से एनओसी प्राप्त करके उसे ऑनलाइन अपलोड करना चाहिए। हालांकि, एनओसी के बिना भी आवेदन पर विचार किया जाएगा, यदि उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के समय एनओसी प्रस्तुत करने का विधिवत हस्ताक्षरित वचनपत्र अपलोड करें।

(ङ) अधूरे आवेदनों को सीधे तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

(च) उम्मीदवार की योग्यता और अभिक्षमता परीक्षण से संबंधित सभी मामलों में संस्थान का निर्णय अंतिम होगा और सभी उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा।

(छ) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार चिकित्सकीय रूप से तंदुरुस्त पाए जाने पर निर्भर होगी।

(ज) आवेदन पत्र के साथ अर्हता के समर्थन में अंकपत्र और प्रमाणपत्र अपलोड और प्रस्तुत करना (कक्षा 10 वीं से शुरू), उनके द्वारा आवश्यक अर्हता उपाधि में प्राप्त अंक, अनुभव आदि अनिवार्य हैं। इन अनुलग्नकों के बिना आवेदनों को सीधे तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। अपलोड किए गए दस्तावेज़ स्पष्ट और दृष्टिगोचर होने चाहिए।

(झ) जिन उम्मीदवारों को स्नातक की उपाधि के संबंध में सीजीपीए जीपीए प्रणाली के तहत ग्रेडेशन से सम्मानित किया गया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सीजीपीए जीपीए को उचित प्रतिशत में बदलने के लिए विश्वविद्यालय/संस्थान के दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्त अंकों का सही प्रतिशत जमा करें। दस्तावेज़ सत्यापन के समय रूपांतरण सूत्र के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करने का दायित्व उम्मीदवार पर है।

(ञ) संस्थान नियुक्ति के समय या कार्यकाल के दौरान, किसी भी समय, किसी उम्मीदवार द्वारा जमा किए गए पूर्ववृत्त या दस्तावेजों को सत्यापित कर सकता है। यदि सत्यापन के प्रक्रिया में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नकली हैं या उम्मीदवार के पास संदिग्ध/अस्वीकार्य पूर्ववृत्त/पृष्ठभूमि है और उसने उक्त जानकारी को छुपाया है, तो उसकी सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे उम्मीदवारों/कर्मचारियों विरुद्ध विधिक रूप से उचित वैधानिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

(ट) परिणाम प्रकाशित करने से पहले आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए विवरण को विधिवत सत्यापित किया जाएगा। यदि उम्मीदवार अपने द्वारा भरे गए विवरण के लिए प्रामाणिक प्रमाण प्रदान करने में विफल रहते हैं तो उनकी उम्मीदवारी सीधे तौर पर निरस्त कर दी जाएगी।

(ठ) इस विज्ञापन से संबंधित शुद्धिपत्र/अनुशेष यदि कोई है तो, केवल संस्थान की वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जाएगा।

(ड) 01.01.2004 को या उसके बाद संस्थान की सेवा में नियुक्त सभी कर्मचारी नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत कवर होते हैं।

(ढ) सेवाकाल के दौरान, प्रत्येक कर्मचारी को योजना, विनियम और उपनियम (एसआरबी), प्रशासनिक नियमावली, अन्य वैधानिक दस्तावेज, सीसीएस (आचरण) नियम और सीसीएस (सीसीए) नियम आदि का पालन करना, आज्ञापालन करना और अनुपालन करना होगा।

(ण) निर्धारित योग्यताएं न्यूनतम आवश्यकता हैं, और केवल इन योग्यताओं और अनुभव का होना ही उसे कार्योन्मुख अभिक्षमता परीक्षण के लिए आमंत्रित किए जाने का हकदार नहीं बना देता।

(त) उम्मीदवारों को अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना, पहले ही आवेदन जमा कर देना चाहिए।

(थ) लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए बुलावा पत्र केवल पात्र उम्मीदवारों को भेजे जाएंगे और इसकी सूचना ई-मेल द्वारा दी जाएगी। उम्मीदवारों को अपने पंजीकृत मेल को बार-बार जाँचना आवश्यकता है। **कार्योन्मुख अभिक्षमता परीक्षण** के लिए अपात्र उम्मीदवारों के साथ कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

(द) संस्थान बिना कोई कारण दिए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। संस्थान किसी भी प्रशासनिक कारण से, किसी भी चरण में विज्ञापन / भर्ती को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ध) उम्मीदवारों को अपने खर्चे पर परीक्षा में उपस्थित रहना होगा।

	(न) संस्थान उम्मीदवार को उसकी पसंद का केंद्र आवंटित करने के सभी प्रयास करेगा। इसलिए, आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन में उपलब्ध नामित केंद्रों की सूची में से तीन केंद्रों का चयन करना होगा। यद्यपि, ध्यान देने योग्य बात यह है कि संस्थान किसी भी समय परिस्थितिजन्य कारणों को संबोधित करने के लिए अपने विवेकानुसार उम्मीदवारों को कोई अन्य केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। संस्थान किसी भी समय निर्दिष्ट केंद्रों की संख्या घटा या बढ़ा सकता है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि केंद्र / स्थान के परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता है।
3.	**देय शुल्क**
	(क) एससी/ एसटी, पीडब्ल्यूडी, पूर्व सैनिकों, ट्रांसजेंडर और महिला श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को ₹50/- प्रसंस्करण शुल्क देना होगा। अन्य उम्मीदवारों को ₹450/- रुपये आवेदन शुल्क और ₹50/- प्रसंस्करण शुल्क देना होगा। (ख) एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस या समायोजित नहीं किया जाएगा।
4.	**आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई**
	(क) एक बार आवेदन करने पर उम्मीदवारों को भर्ती संबंधी अद्यतन सूचना के लिए नियमित रूप से संस्थान की वेबसाइट और पोर्टल का अवलोकन करना चाहिए। (ख) इच्छुक व्यक्तियों से अनुरोध है कि अधिसूचना और अन्य विवरण के लिए संस्थान की वेबसाइट **https://iisc.ac.in/careers/regular-positions/**का अवलोकन करें। (ग) कार्योन्मुख अभिक्षमता परीक्षण के संबंध में जानकारी संस्थान की वेबसाइट और ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार समय पर वेबसाइट का अवलोकन करने में विफल रहता है तो इसके लिए संस्थान किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे संस्थान की वेबसाइट को नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। (घ) उम्मीदवारों की सुविधा के लिए संस्थान अपनी वेबसाइट/होमपेज पर परीक्षा के संचालन और परिणाम के संबंध में सूचना अपलोड करेगा। उम्मीदवार अपने स्वयं के हित में अपने आवेदन ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर जमा कर सकते हैं। (ङ) परीक्षा का संचालन और परिणाम के संबंध में उम्मीदवारों से प्राप्त किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। (च) चयनित/लघुसूचीत उम्मीदवारों को केवल ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा और अलग से कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा।

दिनांक: 29-05-2026 **कुलसचिव**

Annexure-I

Form - VI
Certificate of Disability
(In cases of multiple disabilities)
[See rule 18(1)]
(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph

(Showing face only) of
the person with disability.

Certificate No. Date:

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____son/wife/daughter of Shri _____Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age _____ years, male/female _____.

Registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (……number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	&		

8. Blindness &

9. Deaf £

10. Hard of Hearing £

11. Speech and Language disability

12. Intellectual Disability

13. Specific Learning Disability

14. Autism Spectrum Disorder

15. Mental illness

16. Chronic Neurological Conditions

17. Multiple sclerosis

18. Parkinson's disease

19. Haemophilia

20. Thalassemia

21. Sickle Cell disease

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (…….number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:

In figures: - ---------- percent
In words:- ---------- percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

i. not necessary,

or

ii. is recommended/after ..... years ..... months, and therefore this certificate shall be valid till ----- ----- ------

(DD) (MM) (YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs
& e.g. Single eye
£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in

whose favour certificate of disability is issued.

-

Form – VII
Certificate of Disability
(In cases other than those mentioned in Forms V and VI)
(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)
(See rule 18(1))

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability

Certificate No. Date:
This is to certify that I have carefully examined

Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of Birth (DD/MM/YY)_____ _____ ____ Age _____ years, male/female _____ Registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of _____ disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (……..number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	&		
7.	Deaf	€		
8.	Hard of Hearing	€		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning			

	Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after _____ years _____ months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) ____ ____ ____

@ - eg. Left/Right/both arms/legs

& - eg. Single eye/both eyes

€ - eg. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

(Authorized Signatory of notified Medical Authority)

(Name and Seal)

Countersigned
{Countersignature and seal of the
Chief Medical Officer/Medical Superintendent/
Head of Government Hospital, in case the
Certificate is issued by a medical authority who is
not a Government servant (with seal)}

Signature/thumb impression of the person in

whose favour certificate of disability is issued

Note: In case this certificate is issued by a medical authority who is not a Government servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the District

-

Annexure-II

(FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA)

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____son/daughter of _____ of village/town _____

in District/Division _____ in the State/Union Territory _____ belongs to the _____ Community which is recognized as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No. _____ dated _____*. Shri/Smt./Kumari _____ and/or his/her family ordinarily reside(s) in the _____ District/Division of the _____ State/Union Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt (SCT) dated 8.9.1993**.

District Magistrate: _____

Deputy Commissioner etc.: _____

Dated:

Seal:

* The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

** As amended from time to time.

Note: The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act,1950.

FORMAT FOR SC/ ST CERTIFICATE

A candidate who claims to belong to one of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes should submit in support of his/ her claim an attested/certified copy of a certificate in the form given below, from the District Officer or the sub-Divisional Officer or any other officer as indicated below of the District in which his parents (or surviving parent) ordinarily reside who has been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate. If both his parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his own education. Wherever photograph is an integral part of the certificate, the Commission would accept only attested photocopies of such certificates and not any other attested or true copy.

(*The format of the certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under Government of India)*

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* _____ son/daughter of _____ of village/town*_____ in District/Division *_____ of the State/Union Territory* _____

belongs to the Caste/Tribes_____ which is recognized as a Scheduled Castes/Scheduled Tribes* under:-

The Constitution (Scheduled Castes) order, 1950 _____
The Constitution (Scheduled Tribes) order, 1950 _____
The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories order, 1951 * _____
The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951*_____

As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists(Modification) order, 1956, the Bombay Reorganization Act, 1960 & the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act 1970, the North-Eastern Area(Reorganization) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order(Amendment) Act, 1976.

The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956_____
The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes order (Amendment Act), 1976*.
The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes order 1962.
The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order 1962@.
The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order 1964@
The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967 @
The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Castes Order, 1968@
The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Tribes Order 1968 @
The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970 @
The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order 1978@
The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order 1978@
The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order 1989@
The Constitution (SC) orders (Amendment) Act, 1990@
The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance 1991@

The Constitution (ST) orders (Second Amendment) Act, 1991@
The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance 1996@
The Scheduled Caste and Scheduled Tribe Orders (Amendment) Act 2002@
The Constitution (Scheduled Caste) Orders(Amendment) Act 2002@
The Constitution(Scheduled Caste and Scheduled Tribe) Orders (Amendment) Act 2002@
The Constitution (Scheduled Caste) Order (Amendment) Act 2007@
%2. Applicable in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes certificate issued to Shri/Shrimati _____Father/mother of Shri/Shrimati/Kumari*_____of village/town*_____ in District/Division* _____of the State/Union Territory*_____ who belong to the _____ Caste/Tribe which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* issued by the_____dated_____.

%3. Shri/Shrimati/Kumari and /or * his/her family ordinarily reside(s) in village/town*_____ of _____ District/Division* _____of the State/Union Territory of _____

Signature_____

** Designation_____

(with seal of office)

Place_____

Date_____

* Please delete the words which are not applicable

@ Please quote specific presidential order

% Delete the paragraph which is not applicable.

NOTE: The term ordinarily reside(s) used here will have the same meaning as in section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

** **List of authorities empowered to issue Caste/Tribe Certificates**:

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Dy.Collector/Ist Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Extra-Assistant Commissioner/Taluka Magistrate/Executive Magistrate.

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.

(iv) Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.

NOTE: ST candidates belonging to Tamil Nadu State should submit caste certificate ONLY FROM THE REVENUE DIVISIONAL OFFICER.

Government of .....

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. _____ Date _____

VALID FOR THE YEAR_____

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____son/daughter/wife of _____permanent resident of _____, Village/Street_____PostOffice_____District_____in the State/ Union Territory_____PinCode_____whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/ her 'family'** is below Rs. 8 Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _____ His/ her family does not own or possess any of the following assets *** :

I. 5 acres of agricultural land and above;

II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;

III Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;

IV Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari_____belongs to the _____caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List).

Signature with seal of Office_____

Name_____

Designation_____

Recent Passport size attested photograph of the applicant

---

*Note 1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc.

** Note 2: The term 'Family' for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/ her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

***Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

-

Annexure - III

Certificate for serving Defence Personnel

I hereby certify that, according to the information available with me (No.) _____ (Rank) _____ (Name) _____ is due to complete the specified term of his engagement with the Armed Forces on the (Date) _____.

(Signature of Commanding Officer)

Office Seal

Place:

Date:

UNDERTAKING TO BE GIVEN BY THE EX-SERVICEMEN

I …….,bearing Roll No…….,appearing for the Document Verification of the …….Examination, 20……., do hereby undertake that:

a. I am entitled to the benefits admissible to Ex-Servicemen in terms of the Ex-Servicemen Re-employment in Central Civil Services and Posts Rules, 1979, as amended from time to time.
b. I have not joined the Government job on civil side (including Public Sector Undertakings, Autonomous Bodies/ Statutory Bodies, Nationalized Banks, etc.) in Group 'C' and 'D' posts on regular basis after availing of the benefits of reservation given to ex-serviceman for re-employment; or
c. I have availed the benefit of reservation as ex-serviceman for securing Government job on civil side. I have joined as …….on…… in the office of …… I hereby undertake that I have submitted the self-declaration/ undertaking to my current employer about date wise detail of the application for the above mentioned examination for which I had applied for before joining the present civil employment; or
d. I have availed the benefit of reservation as ex-serviceman for securing Government job on civil side. I have joined as …….on…… in the office of ……. Therefore, I am eligible for age-relaxation only;

I hereby declare that the above statements are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/ terminated.

Signature:	.....
Name:	…….
Roll Number:	.....
Date:	…….
Date of appointment in Armed Forces:	…….
Date of Discharge:	…….
Last Unit/ Corps:	…….
Mobile Number:	…….
Email ID:	…….